न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/130 **दायरा दिनांक : 09.11.2021**

उनवान

चुमकी सरकार आयु 55 वर्ष पत्नि विवेकानन्द सरकार बंगाली, निवासी केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0 .... अपीलांट

बनाम

1– कान्तिबाई पुत्री बाबू पत्नि मोहनलाल, जाति सहरिया, निवासी दांता केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
2– अमर सिंह पुत्र बाबू, जाति सहरिया, निवासी दांता केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
3– मोहन पुत्र कमला, जाति सहरिया, निवासी मुंडियर
4– गोविन्द पुत्र मोहन, जाति सहरिया, निवासी मुंडियर
5– किशन पुत्र मोहन, जाति सहरिया, निवासी मुंडियर
6– सीता पत्नि लक्ष्मण पुत्री मोहन, जाति सहरिया, निवासी ऊनी तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
7– लक्ष्मी पत्नि राजकुमार पुत्री मोहन, जाति सहरिया, निवासी भोपाल मध्यप्रदेश
8– स्टेट ऑफ राज0 जर्ये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र मोहन शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 03.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 21/2020 आदेश दिनांक 02.07.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम दांता, पटवार हल्का केलवाडा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0 में खाता सं. 9 के खसरा नं. 43 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0. 44 रकबा 1.04 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने आदेश दिनांक 02.07.2021 से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सर्वथा गलत विधि तथा नियमों के विपरीत न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा जो अनुतोष न्यायालय से नहीं चाहा गया है वह अनुतोष भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रदत्त कर भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

है और ना ही निर्णय में प्रमाणित पाया गया है इसके बावजूद प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णय/स्थगन आदेश पारित कर गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही पर कतई गौर नहीं किया है और ना ही अप्रार्थीया/अपीलांट के कथनों पर विश्वास किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीया अपीलांट द्वारा अपना पक्ष पूरी तरह से प्रमाणित किया है जिसे न्यायालय ने अपने निर्णय में माना भी है इसके बावजूद सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट न्याय प्राप्ति से वंचित हुई है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण सहरिया जाति के है और अपीलांट अप्रार्थीया बंगाली है। सहरिया जाति के अमरसिंह रेस्पोडेंट क्रम 2 ने उक्त भूमि का 140X110 फीट का भू खण्ड मय निर्माण के वर्ष 2008 में विधिवत अप्रार्थीया/अपीलांट को विक्रय कर विक्रयधन राशि प्राप्त कर रूबरू गवाहान मौके पर कब्जा दखल संभलाया है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने खसरा नं. 39 की भूमि को सिवायचक माना है जिसका बेचान अमरसिंह द्वारा किया गया है उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से ही यह समस्त विवाद उत्पन्न हुआ है। यदि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज है भी तो अपीलांट द्वारा विधिवत खरीदने के बाद उससे नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर उसका भू परिवर्तन आबादी में करके उसे मालिकाना हक प्रदान किया जाना चाहिए था। इसके विपरीत समानता के अधिकार का उल्लंघन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर घोर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है तथा काफी न्यायिक भूले की है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित नहीं माना है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार शास्ति आरोपित की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से विफल एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपना पक्ष पूरी तरह से प्रमाणित किया है किन्तु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भी अस्वीकार किया है तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो अनुतोष प्रार्थीगण रेस्पोडेंट द्वारा नहीं मांगा गया है वह अनुतोष प्रदत्त करते हुए अप्रार्थी/अपीलांट को गलत रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जिससे अप्रार्थी/अपीलांट के विधिक एवं सांपत्तिक अधिकारों का हनन हो रहा है तथा उसको भारी अपरिमित क्षति हो रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर आदेश दिनांक 02.07.2021 को निरस्त फरमावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया तो उभयपक्ष को पाबन्द करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः उभयपक्ष को पाबन्द करने तक ये आदेश खारिज किया जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 02.07.2021 के निर्णय के भाग "ताफैसला वाद उभयपक्ष को जरिये अस्थाई

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम दांता, तहसील शाहबाद स्थित खसरा नं. 39 की राजकीय सिवायचक भूमि पर कोई कब्जा अतिक्रमण अथवा निर्माण नहीं करें।" को खारिज करने हेतु कथन किया।

हमारी राय में तहसीलदार शाहबाद की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलांट तथा रेस्पोडेंट के मध्य सिवायचक खसरा सं. 39 पर कब्जे को लेकर विवाद है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी का दावा पेश किया तथा अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी, वह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2021 के निर्णय से खारिज कर दिया गया। अर्थात् अपीलांट के विरूद्ध पेश प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के दौरान उभयपक्ष के मध्य सिवायचक जमीन खसरा सं. 39 पर कब्जे को लेकर विवाद होना प्रकट होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिवायचक खसरा नं. 39 पर कोई कब्जा अतिक्रमण अथवा निर्माण नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया जो हमारी राय में विधिसम्मत निर्णय है। तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी सिवायचक भूमि के संरक्षक की हैसियत में होने से यह अधीनस्थ न्यायालय का विधिनुसार कर्त्तव्य है कि वह सिवायचक भूमि की सुरक्षा करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण विवादित आराजी बाबत पेश होने पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। उक्त निर्णय से अपीलांट को आपत्ति नहीं है। अपीलांट को आपत्ति सिवायचक जमीन बाबत है। सिवायचक भूमि बाबत उभयपक्षों को पाबन्द करने का निर्णय नितान्त विधिसम्मत होने से निर्णय यथावत रखा जाता है। अपीलांट द्वारा अपील के तथ्यों को सिद्ध नहीं किये जाने से अपील खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.07.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

3/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा